और राजनीतिज्ञों को प्रजातांत्रिक प्रणाली से परिचित कराया गया। परंतु कैम्ब्रिज इतिहासकारों के यह विचार एकपक्षीय एवं पूर्वाग्रहग्रस्त है, क्योंकि प्रजातांत्रिक कार्यप्रणाली से परिचित कराने की बात केवल कुछ राजनीतिज्ञों के मामले में सही मानी जा सकती है। जहाँ तक निर्वाचक मण्डल का प्रश्न है प्रान्तीय विधानसभाओं के लिये मतदाताओं या निर्वाचकों की संख्या 35 लाख थी और केन्द्रीय विधानसभा के लिये तो यह केवल 5 लाख थी, जो संख्या की दृष्टि से बिल्कुल नाममात्र ही थी।

1919 ई० के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रान्तों में द्वैध शासन की थी जो पूर्णतया एक दोषपूर्ण प्रणाली थी। हस्तान्तरित एवं आरक्षित विषयों का विभाजन अव्यवहारिक था। हस्तान्तरित विषयों में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय जैसे राजनीतिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण और कम वित्तीय अधिकार वाले विभाग थे। अधिक महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि वित्त, कानून और व्यवस्था को गवर्नरों के अधिकारिक नियंत्रण में रखा गया। गवर्नरों को किसी भी निर्णय पर वीटो करने का अधिकार प्राप्त था। वे मंत्रियों के निर्णयों को अवहेलना कर स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकते थे। द्वैध शासन व्यवस्था का जन्म ही अशुभ नक्षत्रों में हुआ था, क्योंकि यह समग्र राजनीतिक गतिविधियों के कारण तनाव और ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय राजनेताओं के मध्य पारस्परिक संदेह और अविश्वास से ग्रस्त था। द्वैध शासन सोलह वर्ष तक चला और समग्र रूप से विफल रहा।

1909 ई० के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक-मण्डल का अधिकार प्रदान किया गया था। 1919 ई० के अधिनियम के द्वारा पंजाब में सिक्खों और मद्रास में गैर-ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचक मण्डल प्रदान करके इसका विस्तार किया गया। तिलक ने इस अधिनियम को नितान्त निराशाजनक और असंतोषजनक बतलाया और कांग्रेस ने इस अधिनियम के अन्तर्गत नवम्बर 1920 ई० में आयोजित चुनाव का बहिष्कार किया।

मिलीं जिनके कारण मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता - संघर्ष में सहयोग देने का वायदा किया था वह पूरा न हो सका और हिन्दू - मुस्लिम एकता, जिसकी ओर "लखनऊ समझौता" एक अहम कदम माना जाता है, एक स्वप्नमात्र ही रह गई। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों द्वारा ज्ञान प्रस्तुत किया जाना, मेसोपोटामिया की घटना तथा ड्यूक द्वारा घातक पत्र प्रस्तुत करना कुछ ऐसी घटनायें थीं, जिनके ~~कारण~~ कारण देश में सुधार अधिनियम बनाना आवश्यक हो गया था। अतः 1919 ई० के अधिनियम के पारित होने में इन सब कारणों ने सहयोग दिया।

1919 ई० के अधिनियम की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित थी :-

① केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों के वर्गीकरण का प्रावधान किया गया।

② प्रान्तीय विषयों को दो समूहों : आरक्षित एवं हस्तांतरित के रूप में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों की शासन व्यवस्था गवर्नर के हाथों में थी और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भारतीय मंत्रियों के पास था। विषयों के इस विभाजन के द्वारा स्थापित प्रान्तीय प्रशासन व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy) के नाम से प्रसिद्ध है, जो इस अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आरक्षित विषयों में प्रान्तों में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने से संबंधित विषय, राजस्व आदि - जैसे कि पुलिस, न्याय, राजस्व, कानून और व्यवस्था, जन सेवाएं, अकाल सहायता आदि शामिल थे। हस्तान्तरित विषयों के अन्तर्गत स्थानीय स्वशासन, जनस्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, उद्योग आदि सम्मिलित किए गये। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर, चार - सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की सहायता से चलाया करता था। व्यावहारिक रूप से चार सदस्यों में से दो सदस्य भारतीय हुआ करते थे। हस्तांतरित विषयों के लिये गवर्नर प्रान्तीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता था, जो प्रान्तीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे।

③ केन्द्रीय स्तर पर कार्यपालिका, गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद् के द्वारा संचालित की जाती थी। कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की संख्या छः थी, पर आवश्यकतानुसार उनकी वृद्धि की जा सकती थी। परन्तु कार्यकारिणी के सदस्य केन्द्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि, गवर्नर जनरल और भारत - विषयक सचिव के प्रति उत्तरदायी थे।

④ केन्द्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई। ये दो सदन थे - विधानसभा या निचला सदन या लेजिस्लेटिव असेम्बली और दूसरा, राज्यसभा या ऊपरी सदन या कौंसिल ऑफ स्टेट। राज्य सभा की सदस्य संख्या 60 थी, जिनमें 34 सदस्य निर्वाचित थे और 26 मनोनीत किये जाते थे। विधानसभा की सदस्य संख्या 145 थी, जिनमें 105 निर्वाचित सदस्य थे और शेष सरकारी व मनोनीत सदस्य थे।

⑤ कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता था जब तक दोनों

भारतीय शासन अधिनियम – 1919

कोई भी अधिनियम जब पारित होता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, कई घटनायें होती हैं। 1919 ई० के अधिनियम के पारित होने के भी कई कारण थे। इससे पहले जो मार्ले-मिंटो सुधार हुए थे वे त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त तथा भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने सुधारों द्वारा उदारवादियों को खुश करने तथा उग्रवादियों को कुचलने की जो नीति अपनाई थी उसकी प्रतिक्रिया भारत में हुई सामान्यतया सरकार का ध्यान भारतीयों को संतुष्ट करने की ओर गया। तीसरे, लॉर्ड क्रो (Crowe) की नीति ने भारतीयों के मन में घोर निराशा पैदा की जिससे भारतीयों ने स्पष्ट शब्दों में स्वशासन की मांग शुरू की। अतः सुधारों की आवश्यकता पड़ी। चौथे, सरकार के प्रति मुसलमानों के रूखों में परिवर्तन आया। पृथक् निर्वाचन की मान्यता ने अंग्रेजों और मुसलमानों की मित्रता को काफी गाढ़ा बना दिया। परन्तु मार्ले-मिन्टो सुधारों के बाद कुछ ऐसी घटनायें हुई, जिससे मुसलमानों में भी राष्ट्रीय जागरण हुआ तथा वे अंग्रेज-विरोधी हो गये। पाँचवें, प्रथम महायुद्ध के समय अंग्रेजों ने भारतीय का सहयोग प्राप्त करने के लिये अनेक घोषणायें की। परन्तु युद्ध के बाद उक्त भारतीयों को जब अपनी आशाएँ पूरी होती नहीं दिखाई दी तो उसमें असंतोष बढ़ा। छठे, स्वशासन आन्दोलन को, जो श्रीमती ऐनी बेसेन्ट के नेतृत्व में शुरू किया गया था, कुचलने के लिये सरकार ने कड़ा कदम उठाया, जिससे देश में राष्ट्रीय एकता अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई। अतः सुधारों की आवश्यकता पड़ी। सातवें, 1909 ई० के सुधार अधिनियम के द्वारा भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का बीजारोपण किया गया था। इसके पश्चात् इसे केवल मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रखा गया, अपितु इसे अन्य सम्प्रदायों में भी बढ़ा दिया गया। मुसलमानों, सिक्खों, ईसाईयों तथा आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अतः सुधारों की आवश्यकता पड़ी। आठवें, जब बम्बई में कांग्रेस लीग का अधिवेशन हुआ तब कांग्रेस के नेताओं ने भी भाग लिया। कांग्रेस-लीग समझौता लखनऊ में 1916 ई० में हुआ। कांग्रेस ने लीग के पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया और इसके बदले में कांग्रेस की स्वराज्य की माँग का लीग ने समर्थन किया। 1916 ई० का यह कांग्रेस लीग समझौता जो "लखनऊ पैक्ट" के नाम से मशहूर है, भारत के राष्ट्रीय इतिहास की एक महान घटना थी। इस समझौते के जरिये कांग्रेस ने सोचा कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन में पूर्णतया सहयोगी बना पायेंगे। ऐसी साम्प्रदायिक चुनावों पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाने से उन्होंने अनजाने में अंग्रेज सरकार को इस शातिर चाल को बाकी सम्प्रदायों पर लागू करने का अवसर दे दिया। 1919 ई० के ऐक्ट के अंतर्गत मुसलमान उच्च वर्ग को लखनऊ समझौते में मिली माँगों से कहीं अधिक रियायतें

Ajanta PRODUCTS Oxford

सदन इसे पास न कर दे और गवर्नर जनरल की उसे स्वीकृति प्राप्त न हो जाए।
(6) भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में पहली बार अधिकार दे दिये गये। प्रत्येक वर्ष बजट के प्रस्ताव दोनों सदनों में रखे जाते थे।
(7) 1919 ई० के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को इतने अधिक विशेषाधिकार प्रदान किये गये कि "वह इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री और अमेरीका के राष्ट्रपति से भी अधिक व्यापक शक्तियों का उपयोग कर सकता था।
(8) भारतीय वित्त व्यवस्था पर गवर्नर जनरल के नियंत्रण को अक्षुण्ण रखा गया।
(9) इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
(10) इस अधिनियम के खंड V में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष बाद "शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जाँच के लिये" एक वैधानिक आयोग नियुक्त करने किया जायेगा। इसी प्रावधान के अन्तर्गत 1927 ई० में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई।
(11) भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा।
(12) स्वशासन संबंधी संस्थाओं का विकास किया जायेगा।
(13) भारत में संचालित ब्रिटिश-नीति का लक्ष्य उत्तरदायी शासन की स्थापना होगा।
(14) उत्तरदायी शासन और स्वशासन संस्थाओं की स्थापना का काम धीरे-धीरे और क्रमिक ढंग से होगा।
(15) भारत में कब कितनी प्रगति होगी, इसका निर्णय ब्रिटिश संसद के ही हाथ में रहेगा। दूसरे शब्दों में भारतीय लोगों के कल्याण एवं प्रगति की जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद की ही होगी।
(16) इन मामलों में संसद का कार्य उस सहयोग द्वारा निर्धारित होता था जो उसे उन लोगों से मिलता था जिन्हें सेवा के नये अवसर प्रदान किये गये थे।

1919 ई० के अधिनियम का मूल्यांकन → मांटेग्यु-घोषणा और मांटेग्यु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर तैयार किये गये भारत सरकार अधिनियम, 1919 को मांटेग्यु ने संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के जन-प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित सरकार के बीच सेतु के रूप में उल्लिखित किया था लेकिन इस अधिनियम के द्वारा लागू किये गये सुधार स्वशासन की माँग से बहुत कम थे। द्वैध शासन की व्यवस्था के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों को केवल आंशिक रूप से ही सत्ता का हस्तांतरण किया गया। इसने प्रधानमंत्रीय तथा वित्तीय इकाईयों के रूप में समान प्रान्तीय व्यवस्था के द्वारा संघीय प्रणाली की आधारभूमि तैयार की। परन्तु यह सुधार तीव्रता से विकासमान राष्ट्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिये बहुत अपर्याप्त थे।

कैम्ब्रिज स्कूल के नव साम्राज्यवादी इतिहासकारों का विचार है कि 1919 ई० के अधिनियम के परिणामस्वरूप निर्वाचक-मण्डल के विस्तार से भारतीय जनता ने राष्ट्रीय आन्दोलन में अधिकाधिक रूप से भाग लिया